Criminalization of Indian politics and steps taken by the Election Commission

Prof.Muneshwar yadav
(Head of The Department)
Dept. of Political Science,
L.N.M.U. Darbhanga, Bihar

Ramnath Sharma (Research Scholar)
Dept. of Political Science
L.N.M.U. Darbhanga, Bihar

सार-संक्षेपः लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण तथा वृहत राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और चुनाव को लोकतंत्र की अविरामिता का सबसे सटीक प्रमाण माना जाता है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिये सबसे अच्छे नागरिकों को जन प्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए। इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतते हैं। लोकतंत्र की इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवार चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिये जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करे। परंतु दुर्भाग्य की बात है की लगभग वही राजनेता निर्वाचन राजनीति के मध्य इस तथ्य को नजरअंदाज करते रहे हैं और स्वार्थ से वशीभूत होकर निर्वाचन में अपराधी तत्वों को अपने दल का उम्मीदवार बनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जो व्यक्ति क्षेत्रीय राजनीति में अपराधी राजनीति का पक्ष-पोषण करते रहे हैं उन्होंने भय और आतंक के बल पर सदैव राजनीति को विकट रूप में प्रभावित किया है। वर्तमान में विजय प्राप्ति की लालसा उन पर इतनी हावी हो चुकी है कि राष्ट्रीय नेताओं को भी निर्वाचन संघर्ष के लिए आपराधिक तत्वों को दल का प्रत्याशी बनाये जाने लगे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग समय -समय पर लोकतंत्र की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के कदम उठाए जाते रहे है । जिसमे जिन प्रत्याशीयों पे अपराधिक मामला हो तथा न्यायालय उसे अपराधी घोषित कर दिया हो तो ऐसे उम्मीदवारों को निर्वाचन लड़ने से वंचित किया जाए। साथ ही जिनपे अपराधिक मामला लंबित है ऐसे आपराधिक उम्मीदवारों के लिए अतिशीघ्र प्राणाली के तहत बड़ी करके चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। राजनीतिक अपराधीकरण के सामान्य सूची में भ्रष्ट्राचार,धोखाधड़ी ,नकली या अवैध चुनावी प्रक्रिया,गैरकानूनी वितपोषक आदि हैं ।

शब्द कुंजी : लोकतंत्र ,निर्वाचन, भ्रष्टाचार, अपराध

परिचय:- राजनीति अपराधीकरण वह प्रक्रिया, है जिसके अन्तर्गत अपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते है। राजनीति में पद स्थापित करने, सत्ता को प्राप्त करने एवं सत्ता को अपने अनुरूप रखने के लिए राजनीतिज्ञों समय-समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है[1]।

भारतीय राजनीति की जो दशा है वह देश की प्रगति के लिए चिंतनीय है। भारतीय राजनीति का अपराधिकरण एक ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा भारतीय लोकतंत्र को दिशा मोड़ने का कार्य कर दिया

है। चुनाव में बाहूबल और धनबल के प्रभाव ने सम्पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षत-विक्षत कर दिया है। इस प्रवृति से चुनावी राजनीति का अपराधीकरण हो गया हैं।

भारतीय राजनीति में अपराधीकरण

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन प्रणालियां राजनीतिक दलों पर आधारित होती है इन्ही राजनीतिक दल के द्वारा किसी भी देश का सत्ता एवं राजनीति का संचालन होता है।

लोकतांत्रिक सिद्धांत के स्तर पर राजनीतिक पार्टीयों के लिए अनेक आदर्श मानक दिय गए हैं, किंतु समकालीन परिदृश्य में राजनीति दलीय प्रणाली के आदर्शो में काफी कमी होती रही हैं।विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों की व्यवस्था और राजनीति पर आधारित चरित्र के लोगों का वर्चस्व स्थापित हो गया है। यह अपराधिक व्यक्तित्व ही उस देश की राजनीतिक अपराधीकरण के मूल आधार बिंदू होते हैं[२]।

राजनीतिक अपराधिकरण शुरुआत के लिए यह आवश्यक है कि समाज में नैतिक पतन हो, जिसमें राज्यों के आर्थिक कार्यों ने सहयोग दिया तथा यह प्रक्रिया वैश्वीकरण के जरिये से अच्छी तरह चलती रही तथा समाज से राजनीति अपराधिकरण को समाजिक मान्यता प्रदान करना शुरू हुआ। प्रारंभ में अपराधीकरण सिर्फ आर्थिक उन्नति में बाधक बना, लेकिन बाद में इसने सम्पूर्ण राजनीति संरचना को दूषित कर दिया। जब तक समाज में इसके प्रति नफरत पैदा नहीं होगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। जहाँ तक राजनीतिक अपराधीकरण की शुरुआत का प्रश्न है तो ये राज्य से शुरू होकर केन्द्र की ओर उन्मुख हुआ है भारत में यह संकट राजस्थान, बिहार व उत्तरप्रदेश से प्रारंभ हुई।

जहाँ अपराधियों की मदद लेकर प्रत्याशियों ने चुनाव में विजय पाना प्रारंभ किया। आगे चलकर जब इन अपराधियों को अपनी शक्ति का आभास हुआ तो वे नेताओं की उपेक्षा करके स्वयं ही चुनावी महोत्सव में भाग लेना प्रारंभ करके संसद तथा विधानमंडल में पहुँचने लगे। एक वक्त देश को चलाने वाली हर नीति की डोर राजनीतिज्ञों के हाथ रहती थी और कहा जाता था कि अगर कही अपराधी है, तो उनके पीछे सत्ता की राजनीति है । परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। सत्ता के बदलते समीकरणों ने माफियाओं को तेजी से विस्तार किया। अपराधियों राज्य की सत्ता में विशेष पैठ जम गई। तथा पुलिस प्रशासन इनके हाथ की कठपुतली हो गयी। जनता अब समझ गई कि अपराधी प्रतिनिधि राज्य सत्ता के अंग है, संसद व विधान मंडल में कई अपराधी संसद वं विधायक बनकर चले गए। इन पर हत्या, अपहरण, फिरौती, भ्रष्ट्राचार के आरोपों के लिए देश के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में प्राथमिकी दर्ज थीं। ये अपराधी प्रतिनिधि सरकार के नियमों कानून को अवहेलना सरकार के संरक्षण में ही करते है[३]।

अध्ययन से पता चलता है कि अपराध करने के पीछे कोई एक कारण नहीं होता है ।यह कहना मिथ्या होगा कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी भी अपराध को जन्म देते हैं । पर इसका अर्थ यह भी नही हुआ कि गरीब अशिक्षित और बेरोजगार लोग अपराध नही करते। निःसंदेह अपराधियों की श्रेणी में ऐसे लोग भी है पर अधिक कष्टकारी ऐसे अपराधी है जो धनवान है ,पढ़े-लिखे है और ऊंचे पदो पर आसीन है। सच तो यह हैं ऐसे लोगों के कई अपराध सार्वजनिक होने के बावजूद दण्ड से बच जाते है

और निम्न वर्ग के लोगों को छोटे-मोटे अपराध भी दण्डित हो जाते है । इतना ही नही कई बार तो ये तथाकथित बड़े लोग छोटों को खरीद कर अपराध करवाते हैं ।

चुनाव के समय वोटों की खरीद, छोटे-मोटे बाहुबलियों से पोलिंग स्टेशनों पर की जाने वाली हिंसा, राजनीतिक पार्टीयों द्वारा बड़ी रैलियों में भाग लेने वाले भाड़े पर खरीदे गए लोग, इन सब के पीछे जिसका हाथ होता है, वे असली अपराधी होते है, लेकिन राजनीतिक दंगों में निर्दोष मारे जाने वाले लोगों में मुश्किल से अपवाद स्वरूप कोई राजनेता होता है। जब अपराध को रोकने वाली पुलिस रिश्वत लेकर अपराध करती है तो अपराधी और गैर अपराधी में अंतर करना मुश्किल हो जाता है । राजनीति के संदर्भ में अपराध को समझने के लिए हमें देखना होगा कि किस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है किस प्रकार अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। अपराध का राजनीतिकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला जब साधारण अपराध को राजनीति के क्षेत्र मे घसिट लिया जाता है । दूसरा जब राजनीतिक हित साधन के लिए अपराधियों का सहारा लिया जाता है।

साम्प्रदायिकता से भड़की आग वातावरण को क्षति पहुंचाती है और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बनती है। इसी प्रकार राजनीतिक लोगों के साधारण अपराधों पर की जाने वाली कार्यवाही भी राजनीतिक से प्रेरित घोषित कर दी जाती है। मिडिया भी उसे तूल देता है । बाहुबल के आधार पर राजनीति में घुसे नेताओं के अपराध इसी श्रेणी में आते है। अपराधियों को राजनीतिज्ञों और संरक्षण और भी क्रूर बना देता है क्रूर अपराधी जब राजनेताओं की भूमिका धारण करता है तो उसकी क्रूरता और भी भीषण हो जाती है[4]।

अपराध का राजनीतिकरण का दूसरा पक्ष है राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों का उपयोग। राजनीतिज्ञ अपनी सत्ता की लिप्सा के लिए कुख्यात अपराधियों का सहयोग मांगते है। हमारी राजनीति भी एक महाभारत है जहाँ एक ओर लोकतंत्र के समर्थक पाण्डव है तो दूसरी ओर दुःशासन के नेतृत्व में एकत्र कुख्यात कौरव । हमारी चिंता है कि कुशासन को कैसे सुशासन में बदला जाए। कैसे लोकतंत्र अपराध की शरणस्थली बनने के स्थान पर उसके शमन का माध्यम बने । यदि बाहुबली राजनीति पर हावी बने रहे तो आम आदमी की लोकतंत्र में जमी हुई आस्था समाप्त हो जाएगी ।भारतीय राजनीति में अपराधीकण की प्रवृति संसद एवं विधानमंडल में व्यापक रूप से फैली हुई है।[5]

राजनीतिक दल यह जान रहे है कि विधानमण्डलों में दागी नेताओं की दिन पर दिन बढ़ती संख्या आम, जनता की बेचैनी का कारण बनने के साथ-साथ उनकी साख को प्रभावित कर रही है, लेकिन वे राजनीति को साफ सुधरा करने की दिशा में एक भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है।

चुनाव आयोग ने कई बार यह कोशिश की है कि राजनीतिक दल कम से कम उन लोगों को प्रत्याशी बनाने से रोके। जिसके खिलाफ दायर आरोप पत्र यह इंगित करता हो कि दोषी पाए जाने की स्थिति में उन्हें पांच साल या इससे अधिक की सजा हो सकती है लेकिन नेताओ के द्वारा निर्वाचन की पहल को नाकाम भी करते रहे। राजनीतिक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार 88 प्रतिशत भारतीय नागरिक

राजनीतिक दलों को सबसे भ्रष्ट मान रहे है। यह हास्यापद है कि राजनीतिक एक ओर तो यह दावा करते है कि वे जनता की नब्ज जानते है और दूसरी ओर उसकी उपेक्षाओं के विपरित काम करते हैं।

राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र पर कलंक है। अपराधी की निंदा सब करते हैं, लेकिन चुनाव में उन्हें प्रत्याशी भी बनाते है। माफिया होना उसका अतिरिक्त गुण होता है,वे जिताऊ होते है। अनेक प्रबुद्ध जनता को दोष देते है कि जनता ही अपराधियों को चुनती है राष्ट्र अपराधी जन-प्रतिनिधि नही चाहता न्यायालय ने राष्ट्र की इच्छा और संविधान की भावना को ही अभिव्यक्ति दी है[6]।

चुनाव आयोग द्वारा उठाये गए कदम

राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव जीवन हर क्षेत्र में पड़ता है, साथ ही जीवन हर क्षेत्र को विषाक्त भी बनाता है,सभ्य समाज को पतन के गर्त में ले जाता है । जिसके परिणाम से हम सर्वथा अनभिज्ञ रहते, हम जान-बूझकर इस ओर देखना नही चाहते,अगर देखे भी होते है तो विचार करना नही चाहते और कोई विचार भी करते है तो कदम नही उठाते । इस राजनीति के अपराधिकरण को रोकने के लिए चुनाव आयुक्त डा. एम एस गिल द्वारा घोषणा की गई कि किसी भी अदालत द्वारा एक बार अपराधी घोषित प्रत्याशी अब राज्य विधानसभा तथा संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। जिस पर सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया की गई, जो भारतीय राजनीति की एक नई प्रवृति है। हमेशा चुनाव में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान की गारंटी की बात कही जाती है । यह उसी तरह की बात है, जिस तरह राज्य में कानून, अमनचैन की व्यवस्था बनाये रखने का दावा किया जाता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन शेषन ने 1991 में बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की कवायद की थी और कहा कि हिंसा हुई तो चुनाव रद्द होंगे। अर्द्ध सैनिक बलो की 1988 के लोकसभा चुनाव में 125, 1990 के विधानसभा चुनाव में 197 और 1995 के विधान सभा चुनाव में कुल 618 कम्पनियां लगायी गयी थी[7] ।

वी. पी. सिंह सरकार के द्वारा 9 जनवरी 1990 को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णयानुसार तत्कालीन केन्द्रीय कानून एवं न्यायमंत्री श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन मई 1990 में सरकार को सौंपा जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे।

- मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा करके, अवैध तरीको से मतदान करने, मतपत्रों को लूटने फाड़ने मतपेटिकाओं को छीन लेने जैसी घटनाए पाए जाने पर पुनर्मतदान कराया जाए।
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को निर्धारण चक्रानुक्रम (रोटेशन) पद्धति के आधार पर किया जाए।

- चुनाव के दौरान अवैध तरीके अपनाए जाने अथवा किसी अन्य आधार पर उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिकाओं का निपटारा अतिशीघ्र किया जाए।
- मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाए।
- लोकसभा / विधानसभा के किसी भी रिक्त स्थान का चुनाव अनिवार्य छः माह के भीतर कर लिया जाए।
- हर मतदाता को फोटोयुक्त परिचय पत्र दिया जाए तथा उसी आधार पर मतदान करने दिया जाए।

वर्तमान भारतीय निर्वाचन प्रणाली में यह एक गंभीर दोष बना हुआ है इस चुनाव प्रणाली में प्रायः उस दल को सत्तारूढ़ होने का अवसर मिल जाता है जिसे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता और जिसका मत-प्रतिशत विपक्ष को प्राप्त मत प्रतिशत की तुलना में प्रायः बहुत कम होता है। केन्द्र में वाजपेयी सरकार 1998 में मात्र तेरह दिन के अन्तराल में गिर गई, चूंकि वह सदन में बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी। किन्तु देखा जाए तो देश के अधिकांश मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया किन्तु सरकार अन्य पार्टियों ने मिलकर चलाई । यह एक भारतीय निर्वाचन प्रणाली का बहुत बड़ा दोष है। चुनाव आयोग ने भले ही निर्वाचन हेतु चुनाव व्यय की निश्चित सीमा तय की हो, किन्तु धन-बल का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। जिससे निर्वाचन से संबंधित अनेक समस्याएँ पैदा होती हैं। राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृति, भ्रष्ट्राचार, चुनावी हिंसा, चुनावों में उद्योगपतियों का बोलबाला आदि समस्याएँ विद्यमान हैं[9]।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने में राजनीतिक नेताओं द्वारा बाधाएँ पैदा की जाती हैं। इससे निर्वाचन में दूषित होने की संभावना बन जाती है। कई बार तो राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव व तबादला करा देने की धमकियाँ भी दी जाती हैं जिससे उनके मन मुताबिक कार्य करने हेतु निर्वाचन में लगे कर्मचारी बाध्य हो जाते हैं। इस संबंध में भूतपूर्व चुनाव आयुक्त सेन वर्मा का वक्तव्य इस प्रकार हैं राजनैतिक दबाव में आकर मतदान सूचियों में गड़बड़ी की गई, मंत्रियों तक ने चुनाव में हस्तक्षेप किया संसद सदस्यों तक के नाम मतदाता सूची में से निकाल दिए गए, ताकि वे चुनाव न लड़ सके और प्रतिपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भारी संख्या में रद्द कर दिए गए। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद निर्वाचन अधिकारियों को तंग करने की शिकायतें भी कम नहीं हैं। इस प्रकार के कथनों से यह पता चलता है। कि चुनावों में धांधली कहीं-न-कहीं निर्वाचन प्रणाली में हावी होती है जिससे जन प्रतिनिधित्व उचित ढंग से नहीं हो पाता[10]।

बिहार में खासकर चुनाव का मौसम जब आता है तो सभी बड़े या छोटे नेता के दिन का कार्यक्रम भाषण देने अथवा घर-घर जाकर हाथ जोड़ने में ही बीतता है लेकिन क्षेत्र के जो गुंडे,बदमाश तथा डकैत होते है ,उनसे मिलना बातचीत करना तथा रुपया देकर अपने पक्ष में लाना ,भय या लोभ दिखाकर अपने पक्ष में

करना एवं मतदान के दिन जबरदस्ती अपने पक्ष में स्वयं तथा लोगो द्वारा मत गिरवाना आदि का संदेश देते हैं।आप कहेंगे की ये कहा का मजाक है,इतना अच्छा हमारा लोकतंत्र है ।पुलिस का इंतजाम रहता है "मतदान आधिकारी" के हस्ताक्षर के बिना कैसे जबरदस्ती मतदान होगा ? लेकिन ये सभी होता है। प्रथम तो जो पहले गांव से बाहर है नौकरी,व्यापार आदि के कारण उनका मतदान जाली आदमी द्वारा हो जाता है ।फिर उपस्थित गांववाले मतदान करते हैं[11]।

समकालीन समय में जिस तरह 'नोट के बल पर वोट' को प्राप्त करने वाले प्रतिनिधि को चुन रहे है तो ऐसे हम उनसे नैतिकता की उम्मीद कैसे रख सकते है ।आप जहाँ प्रतिनिधियों ने धन,बाहूबल के बल पर सत्ता को प्राप्त करने का एक मात्र लक्ष्य बना लिया है और राजनीति धन का खेल बन चुकी है वहा ईमानदार व स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति कैसे राजनीति में आ सकते है ।हम आज ऐसे राजनीतिक माहौल में खड़े है सत्ता का दुरुपयोग करने वालो की चापलूसी हो रही है।सत्ता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के रास्ते से गुजरने को तैयार हो गए है।साधनों की पवित्रता का कोई महत्व नहीं रहता हैं।जबकि समय-समय पे चुनाव आयोग द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।फिर भी राजनीतिक अपराधीकरण की संख्या में वृद्धि हो ही रही है ये लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है।

निष्कर्ष - राजनीति के अपराधीकरण का आशय राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है,जिसमे सांसद तथा राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं।वर्तमान समय में भ्रष्ट्राचार हर जगह इस तरह से व्याप्त है कि बच पाना बहुत ही मुश्किल है ,यह गलियों से लेकर देवालयों, स्कूल से दफ्तर तक यहाँ तक की जन्म से लेकर मृत्यु की शैय्या तक हर ओर व्याप्त है।समाज में बढ़ता यह भ्रष्ट्राचार विभिन्न प्रकार के अपराधों का कारण है जो कि प्रमुख रूप से राजनीति में बढ़ रहे अपराध का ही परिणाम है।जिन व्यक्तियों के उपर विभिन्न प्रकार के मुकदमें चल रहे है तथा जो संगीन जुर्मों में लिप्त है वही चुनाव माध्यम से जीत कर हमारे राजनेता बन जाते है ,जो आगे चलकर विभिन्न अपराधों को जन्म देते है तथा अपराधीकरण को बढ़ावा देते है।

संदर्भ-

1. बघेल.डी.एस.अपराध शास्त्र, सरस्वती प्रकाशन नई दिल्ली, 1996 , पृष्ट संख्या-103

2. दिघे, शरद तथा सुन्दररियाल आर. बी. चुनाव सुधार व प्रक्रिया श्री पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली 1997

3.वही

4. सत्यकेतु, विद्यालंकार, प्राचीन भारत की शासन संस्थाएँ और राजनीतिक विचार प्रकाशन - सरस्वती सदन नई दिल्ली - 1999

5.अग्रवाल, आर. सी. भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन एस चन्द्र एण्ड कम्पनी रामनगर नई दिल्ली 1999

6. दीक्षित, ह्रदयनारायण, भारतीय समाज राजनीतिक संक्रमण,संस्करण 2008 विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणासी

7.श्रीकांत बिहार में चुनाव, जाति हिंसा और बूथ लूट, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली 2005

8. बघेल.डी.एस एवं कर्चुली, टी.पी सिंह राजनैतिक समाजशास्त्र राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली 2004 पृष्ठ संख्या -62

9.वही पृष्ठ संख्या -308

10. वहीं पृष्ठ संख्या -309

11. झा.सी.एम भ्रष्ट्राचार, समस्या और सामाधान राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ संख्या -62